राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 02/2025 अपील

1. जडाव गुर्जर पुत्र दूदा गुर्जर निवासी गोरख्या, तहसील करेडा जिला भीलवाडा	बनाम	1. गीता देवी पत्नि स्व श्रवण गुर्जर निवासी गोरख्या तहसील करेडा 2. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार करेडा जिला भीलवाडा
–अपीलार्थी		–रेस्पोडेण्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 राज० लेण्ड रेवेन्यु एक्ट, 1956

विरूद्ध

नामान्तरण संख्या 1767 दिनांक 27.09.2026

उपस्थित –

1. श्री कन्हैयालाल सेन, अपीलाण्ट अधिवक्ता
2. राजकीय पेरोकार, रेस्पोन्डेन्ट–2 ओर से

निर्णय

5/03/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने ग्राम गोरख्या तह–करेडा में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 264 दो सो चोंसठ आराजी नम्बर 3239 बत्तीस सो उन्चालीस रकबा 00 बीघा 02 दो बिस्वा, खाता संख्या 266 दो सो सासठ आराजी नम्बर 3240 बत्तीस सो चालीस रकबा 00 बीघा ०6 छः बिस्वा, 3246 बत्तीस सो छियालिस रकबा 00 बीघा 03 तीन बिस्वा, 3247 बत्तीस सो सैंतालिस रकबा 00 बीघा 02 दो बिस्वा, 3610 छत्तीस सो दस रकबा 01 एक बीघा 07 सात बिस्वा, 3616 छत्तीस सो सोलह रकबा 00 बीघा 12 बारह बिस्वा, 3617 छत्तीस सो सत्रह रकबा 00 बीघा 01 एक बिस्वा, 3621 छत्तीस सो इक्कीस रकबा 00 बीघा 03 तीन बिस्वा, 3622 छत्तीस सो बाईस रकबा 00 बीघा 03 तीन बिस्वा, 3661 छत्तीस सो इकसठ रकबा 00 बीघा 16 सोलह बिस्वा, 4316 तयालिस सो सोलह रकबा 02 दो बीघा 13 तैरह बिस्वा, 4317 तयालिस सो सत्रह रकबा 01 एक बीघा 03 तीन बिस्वा, 4318 तयालिस सो अठारह रकबा 00 बीघा 13 तैरह बिस्वा, 4319 तयालिस सो उन्नीस रकबा 00 बीघा 04 चार बिस्वा, 4334 तयालिस सो चोतीस रकबा 01 एक बीघा 08 आठ बिस्वा. 4335 तयालिस सो पेंतीस रकबा 01 एक बीघा 12 बारह बिस्वा, 4336 तयालिस सो छत्तीस रकबा 02 दो बीघा कुल किता 16 सोलह कुल रकबा 13 तैरह बीघा 06 छः बिस्वा, खाता संख्या 267 दो सो सतसठ आराजी नम्बर 3613 छत्तीस सो तेरह रकबा 00 बीघा 04 चार बिस्वा कुल किता 01 एक कुल रकबा 00 बीघा 04 चार बिस्वा, खाता संख्या 268 दो सो अडसठ आराजी नम्बर 1202 बारह सो दो रकबा 00 बीघा 03 तीन बिस्वा कुल किता 01 एक कुल रकबा 00 बीघा 03 तीन बिस्वा, खाता संख्या 269 दो सो उन्सीतर आराजी नम्बर 1201 बारह सो एक रकबा 03 तीन बीघा 04 चार बिस्वा कुल किता

5.3.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

01 एक कुल रकबा 03 तीन बीघा 04 चार बिस्वा, व खाता संख्या 274 दो सो चोमोतर आराजी नम्बर 3640 छत्तीस सो चालीस रकबा 00 बीघा 11 ग्यारह बिस्वा, 3666 छत्तीस सो सासठ रकबा 00 बीघा 01 एक बिस्वा, 4327 तयालिस सो सताईस रकबा 01 एक बीघा 04 चार बिस्वा, 4333 तयालिस सो तेंतीस रकबा 05 पांच बीघा 10 दस बिस्वा, 4402/3728 चामालिस सो दो बटटा सेतीस सो अठाईस रकबा 00 बीघा 03 तीन बिस्वा कुल किता 05 पांच कुल रकबा 07 सात बीघा 09 नो बिस्वा, भूमि दुदा पिता गणेश गुर्जर के खातेदारी अधिकार की होकर दुदा पिता गणेश गुर्जर के नाम पर दर्ज रेकॉर्ड थी। खातेदार दुदा पिता गणेश गुर्जर के फौत हो जाने से विरासत का नामान्तकरण संख्या 1767 पटवारी हल्का गोरख्या द्वारा दिनांक 27/09/2006 को भरा गया जिसमें मृतक खातेदार के प्रथम श्रेणी के वारीस दुदा जी की पत्नि कंकु व दुदा जी एक मात्र पुत्री जडाव थी किन्तु विरासत का नामान्तकरण खोला गया जब पटवार हल्का द्वारा मृतक दुदा पिता गणेश गुर्जर की पत्नि कंकु व जडाव के नाम पर खोलना चाहिए था किन्तु पटवार हल्का द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 01 एक के पति श्रवण व उनके परिवार वालो ने राजस्व कर्मचारियो से मिलाभगती करके दुदा जी के कोई पुत्र पुत्री सन्तान नहीं मानते हूरे प्रत्यर्थी संख्या 01 एक के पति श्रवण को दुदा जी का गोदपुत्र बताते हुऐ दुदा जी की विरासत का नामान्तकरण दुदा जी की पत्नि व श्रवण के नाम पर स्वीकृत करवा लिया जबकि दुदा जी ने व उनकी दुदा जी की पत्नि कंकु ने अपने जीवनकाल मे कभी किसी को गोद नहीं लिया।

उक्त नामान्तकरण संख्या 1767 को स्वीकृत कराये जाने हेतु पटवारी हल्का ने अधिनस्थ ग्राम पंचायत गोरख्या के समक्ष दिनांक 27/09/2006 को प्रस्तुत किया, जिसे अधिनस्थ ग्राम पंचायत गोरख्या ने भी बिना किसी जाँच के, पटवारी हल्का द्वारा भरे गये नामान्तकरण एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकृत कर दिया, जिसकी जानकारी अपीलार्थीयागण को दिनांक 15/09/2024 को प्रत्यर्थी संख्या 01 एक द्वारा मौके से बेदखल कर उक्त भूमि को अन्य व्यक्तियों को अन्तरित करने की धमकी दी जिससे अपीलार्थीया ने पटवारी हल्का से खाता देखने एवं समस्त राजस्व रेकॉर्ड प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि अकेले प्रत्यर्थी संख्या 01 एक के पति श्रवण व अपीलार्थीया की माता कंकु के नाम पर दर्ज हे व अपीलार्थीया की माता की भी हाल मे मृत्यू हो गई जिससे सभी तथ्यों की जानकारी हुई जिससे उक्त विवादित नामान्तकरण संख्या 1767 सत्रह सो सतसठ की प्रमाणित प्रतिलिपी हेतु 23/09/2024 को आवेदन किया व दिनांक 25/09/2024 को नकल प्राप्त की, नकल प्राप्त होने पर सम्पूर्ण तथ्यो की जानकारी हुई व उक्त नामान्तकरण संख्या 1767 से असन्तुष्ट होकर अपील की गई। विवादग्रस्त भूमि जो कि मृतक दुदा पिता गणेश गुर्जर के हक व हिस्से की है जिस पर अपीलार्थीया अपने हक व हिस्से के अनुसार मौके पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग व कास्त करती आ रही है लेकिन उक्त विवादग्रस्त नामान्तकरण संख्या 1767 द्वारा भरा गया जो सही नही है। अपील अपीलार्थीया स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ ग्राम पंचायत गोरख्या द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 1767 निर्णय दिनांक 27/09/2006 को निरस्त फरमा मृतक दूदा पिता गणेश गुर्जर की विरासत में उपरोक्त वर्णित भूमि में अपीलार्थीया जडाव का नाम अंकित किया जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किए। रेस्पोन्डेन्ट–1 बावजूद सूचना लगातार अनुपस्थित रही, इनके विरूद्ध एकतरफा निर्णय पारित किया जाता है। प्रकरण में अपीलाण्ट अधिवक्ता व रेस्पोन्डेन्ट 2 की ओर से राजकीय पक्ष उपस्थित रहे। प्रकरण में बहस सुनी गई।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में विरासतन इंतकाल हुआ एवं विवादित सम्पति श्रवण को गोदपुत्र के नाते मिली होना अवगत कराया। श्रवण की मृत्यु के बाद विपक्षी–1 गीता के नाम दर्ज गई है। इस प्रकार 2006 के

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

5.3.26

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

नामान्तरण पश्चात् पश्चात्वर्ती नामान्तरण भी दर्ज हो चुके है। ऐसे प्रकरण घोषणात्मक वाद श्रेणी में आते है जो इस न्यायालय के श्रवणाधिकार में नहीं है अतएव–

आदेश

अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत अपील अंतर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 विरूद्ध रेस्पोन्डेन्ट्स, के प्रकरण में 2006 के नामान्तरण पश्चात् पश्चात्वर्ती नामान्तरण गलत दर्ज होना अपलाण्ट द्वारा अवगत कराने एवं ऐसे प्रकरण घोषणात्मक वाद श्रेणी में आने से उक्त अपील पोषणीय नहीं होकर खारिज की जाती है। अपीलाण्ट सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय मेरे द्वारा दिनांक 5/03/2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5.3.26

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा